रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062026-273220
CG-DL-E-08062026-273220

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948
No. 386]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISHTHA 11, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(महानिदेशक, पोत परिवहन निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 428(अ).—राष्ट्रप्रति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तिर्या का प्रयोग करते हुए और -

(i) पोत परिवहन कार्यालय, बॉम्बे/कलकत्ता (तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग पद) भर्ती नियम, 1969, जहां तक वे अवर श्रेणी लिपिक; एड्रेमा प्रचालक; दफ्तरी/अभिलेख छंटाईकार; चपडासी; हमाल; झाडूकश; भिस्ती; फराश; और रात्रि-चौकीदार के पदों से संबंधित हैं;

(ii) समुद्री कर्मचारी रोजगार कार्यालय, बॉम्बे/कलकत्ता (तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग पद) भर्ती नियम, 1969, जहां तक वे अवर श्रेणी लिपिक / टेलीफोन प्रचालक; दफतरी; चपडासी; हमाल; झाडूकश; और रात्रि- चौकीदार के पदों से संबंधित हैं;

(iii) महानिदेशक, पोत परिवहन, निदेशालय, (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1990, जहां तक वे अवर श्रेणी लिपिक; एड्रीमा प्रचालक/अभिलेख छंटाईकार; जमादार/दफ्तरी; चपडासी; चौकीदार; हमाल; और सफाई कर्मचारी के पदों से संबंधित हैं;

(iv) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, मद्रास, कोच्चिन, विशाखपट्टणम, तूतुक्कुडि और क्षेत्रीय कार्यालय (जलयात्रा) तूतुक्कुडि और कालीकट (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1991, जहां तक वे अवर श्रेणी लिपिक, समुद्री वाणिज्यिक विभाग, मद्रास - 11, कोच्चिन - 3. विशाखपट्टणम - 3, तूतुक्कुडि - 1, क्षेत्रीय (जलयात्रा) कालीकट - 1, तूतुक्कुडि - 1; टेप होल्डर

समुद्री वाणिज्यिक विभाग कोच्चिन - 1, विशाखपट्टणम – 1; परिचारक, वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग, मद्रास; चपडासी अथवा पैकर, एमएमडी, मद्रास, चपडासी – 5, पैकर – 1, एमएमडी, वाइजाग ; चपडासी - 2, एमएमडी, कोच्चिन चपडासी - 2, क्षेत्रीय कार्यालय (जलयात्रा) तूतुक्कुडि, चपडासी - 1, कालीकट - 1; और चौकीदार, एमएमडी, मद्रास, एमएमडी, वाइजाग के पदों से संबंधित हैं;

(v) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1991, जहां तक वे अवर श्रेणी लिपिक वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग, कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर; अभिलेखदाता वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग, कलकत्ता ; दफतरी वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग, कलकत्ता; चपडासी अथवा चपडासी-सह-टेप होल्डर अथवा संदेशवाहक-सह-चपडासी वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग कलकत्ता, चपडासी-15, चपडासी-सह-टेप होल्डर-2, पोर्ट ब्लेयर संदेशवाहक-सह-चपडासी-2; चौकीदार; दरबान ; झाडूकश वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग, कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर; फराश; और माली के पदों से संबंधित हैं; और

(vi) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, मुंबई, जामनगर और मुरगांव और क्षेत्रीय कार्यालय (जलयात्रा), मुंबई और जामनगर (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1991, जहां तक वे अवर श्रेणी लिपिक, वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग, बॉम्बे, जामनगर, मुरगांव, क्षेत्रीय कार्यालय (जलयात्रा) बॉम्बे जामनगर; टेप होल्डर (समुद्री वाणिज्यिक विभाग, बॉम्बे; हवलदार (समुद्री वाणिज्यिक विभाग, बॉम्बे); द्वार रक्षक (समुद्री वाणिज्यिक विभाग, बॉम्बे; दफ्तरी समुद्री वाणिज्यिक विभाग, बॉम्बे; चपडासी समुद्री वाणिज्यिक विभाग बॉम्बे 8 जामनगर 3 मुरगांव 2 क्षेत्रीय कार्यालय (जलयात्रा) बॉम्बे जामनगर 1; झाडूकश समुद्री वाणिज्यिक विभाग, बॉम्बे; और हमाल समुद्री वाणिज्यिक विभाग, बॉम्बे के पदों से संबंधित हैं;

उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, महानिदेशक, पोत परिवहन निदेशालय, मुंबई, और सभी वाणिज्यिक समुद्री विभागों और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक और कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महानिदेशक, पोत परिवहन निदेशालय, मुंबई और वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभागों और उसके अधीनस्थ कार्यालयों, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. लागू होना - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिदिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका प्रति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने प्रति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अवर श्रेणी लिपिक	94* (2026) (क) महानिदेशक, पोत परिवहन निदेशालय, मुंबई -32; (ख) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, मुंबई-14; (ग) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, चेन्नई - 10; (घ) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, कोलकाता - 12; (ङ) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, कांडला -03; (च) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, कोच्चिन - 05; (छ) सरकारी पोत परिवहन कार्यालय - 15; और (ज) नाविक रोजगार कार्यालय - 03.	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200)	अचयन
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तनशील			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(6)	**(7)**
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार चालीस वर्ष तक शिथिलनीय)। **टिप्पणः** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित के अनुसार होगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवी कक्षा उत्तीर्ण, (ii) अंग्रेजी में मैनुअल टाइपराइटर पर तीस शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; या (iii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट क्रमशः 10500 की-डिप्रेशन प्रति घंटा और 9000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा के औसत पर, प्रत्येक शब्द के लिए पांच की-डिप्रेशन मानते हुए)। समय-अवधिः दस मिनट। **टिप्पण** 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भमें कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचितजनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के निए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तयों की प्रतिशतता।**
(8)	**(9)**	**(10)**
हाँ, स्तंभ (11) में उल्लिखित सीमा तक।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पणः** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	(i) पचासी प्रतिशत (85%) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा' (ii) दस प्रतिशत (10%) विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा; और (iii) पाँच प्रतिशत (5%) वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
(i) **प्रोन्नतिः** रिक्तियों का 10 प्रतिशत स्तर-1 में वेतन मैट्रिक्स (रु. 18000-56900) वाले बहु-कार्य कर्मचारी से, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हों और उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। **टिप्पण 1:** परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु-सीमा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष होगी।

टिप्पण 2: यदि खंड (i) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से अधिक ऐसे कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो अतिरिक्त कर्मचारियों को अगले वर्षों में उत्पन्न रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा ताकि पहले परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारी बाद में उत्तीर्ण होने वालों से पहले विचार किए जाएं। (ii) रिक्तियों का 5 प्रतिशत स्तर-1 में वेतन मैट्रिक्स (रु. 18000-56900) वाले बहुकार्य कर्मचारी से, जिन्होंने उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जाएगा। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे; 1. उप महानिदेशक, पोत परिवहन महानिदेशालय (कार्मिक या प्रशासन) - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक, पोत परिवहन महानिदेशालय अथवा नौ-सर्वेक्षक अथवा अभियंता एवं पोत सर्वेक्षक अथवा पोत सर्वेक्षक (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि) – सदस्य; 3. अन्य केंद्रीय सरकार विभाग सहित संबद्ध कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों के अवर सचिव स्तर अथवा उससे ऊपर का अधिकारी - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. उप महानिदेशक, पोत परिवहन महानिदेशालय (कार्मिक या प्रशासन) – अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक, पोत परिवहन महानिदेशालय अथवा नौ-सर्वेक्षक अथवा अभियंता एवं पोत सर्वेक्षक अथवा पोत सर्वेक्षक (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि)– सदस्य; 3. सहायक महानिदेशक, पोत परिवहन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहु-कार्य कर्मचारी	81* (2026) (क) पोत परिवहन महानिदेशालय, मुंबई -27;	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900)	लागू नहीं होता

	(ख) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, मुंबई -12; (ग) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, चेन्नई -07; (घ) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, कोलकाता 13; (ङ) समुद्री वाणिज्यिक विभाग, कोच्चिन -04; (च) सरकारी पोत परिवहन कार्यालय - 10; और (छ) नाविक रोजगार कार्यालय - 08. *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनशील			

(6)	(7)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार चालीस वर्ष तक शिथिलनीय)। **टिप्पणः** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित के अनुसार होगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। **टिप्पण 1**.: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिअथवा के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अहेताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष। **टिप्पणः** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से	सीधी भर्ती

	कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	द्वारा
(11)		
लागू नहीं होता		

(12)	**(13)**
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. उप महानिदेशक, पोत परिवहन महानिदेशालय (कार्मिक अथवा प्रशासन) – अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक, पोत परिवहन महानिदेशालय अथवा नौ-सर्वेक्षक अथवा अभियंता एवं पोत सर्वेक्षक अथवा पोत सर्वेक्षक (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि) – सदस्य; 3. सहायक महानिदेशक, पोत परिवहन - सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12011/7/2022-एम ए भाग (1) (376415]

वेंकटेशपथी शिवपेरुमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(Directorate General of Shipping)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 428(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of –

(i) *the Shipping Office, Bombay/Calcutta (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules,* ***1969*****,** in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerks; Adrema Operator; Daftry/Record Sorter, Peon, Hamal, Sweeper; Bhisty, Farash and Night Watchman;

(ii) *the Seamen's Employment Office, Bombay/Calcutta (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1969***,** in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerks/Telephone Operators, Daftry, Peon; Hamal, Sweeper and Night Watchman;

(iii) *the Directorate General of Shipping, (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules,* ***1990***, in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerks, Adrema Operator/Record Sorter, Jamadar/Daftry, Peon, Watchman, Hamal and Safaiwala;

(iv) *the Mercantile Marine Depart Departments, Madras, Cochin, Visakhapatnam, Tuticorin and Regional Offices (Sails) Tuticorin and Calicut (Group C and Group D posts) Recruitment Rules,* ***1991*****,** in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerk, Mercantile Marine Departments, Madras – 11, Cochin – 3, Vishakhapatnam – 3, Tuticorin– 1, Regional (Sails) Calicut– 1, Tuticorin – 1, Tape Holder Mercantile Marine Departments Cochin – 1,Visakhapatnam – 1, Attender, Mercantile Marine Department, Madras, Peon or Packer, MMD, Madras, Peon– 5, Packer - 1, MMD Vizag Peon – 2, MMD, Cochin Peon – 2, R.O. (Sails) Tuticorin, Peon– 1, Calicut – 1, and Watchmen, MMD, Madras, MMD, Vizag;

(v) the Mercantile Marine Departments, Calcutta and Port Blair (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, ***1991,*** in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerk Mercantile Marine Department, Calcutta, Port Blair, Record Supplier Mercantile Marine Department, Calcutta, Daftry Mercantile Marine Department, Calcutta, Peons or peons-cum-Tape holder or Messenger-cum-peon. Mercantile Marine Department Calcutta, Peon-15, Peon-cum-tape-holder-2, Port Blair Messenger-cum-Peon-2, Chowkidar, Durwan, Sweeper Mercantile Marine Department, Calcutta, Port Blair, Farash and Mali; and

(vi) the Mercantile Marine Departments, Bombay, Jamnagar and Mormugao and Regional Offices (Sails), Bombay and Jamnagar (Group C and Group D posts)Recruitment Rules, ***1991****,* in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerks, Mercantile Marin Departments, Bombay, Jamnagar, Mormugao Regional Officers (Sails) Bombay Jamnagar, Tape holder (Mercantile Marine Department, Bombay, Havildar (Mercantile Marine Department, Bombay), Janitor (Mercantile Marine Department. Bombay, Daftary Mercantile Marine Department, Bombay, Peon Mercantile Marine Departments Bombay 8 Jamnagar 3,

Marmugoa 2, Regional Offices (Sails) Bombay 1, Jamnagar 1, Sweeper Mercantile Marine Department, Bombay, and Hamal Mercantile Marine Department, Bombay,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Division Clerk and Multi-Tasking Staff in the Directorate General of Shipping, Mumbai, and all Mercantile Marine Departments and its subordinate offices under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, namely:—

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Directorate General of Shipping, Mumbai and Mercantile Marine Departments and its subordinate offices, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application:** -These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix**. – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification** – No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a living spouse, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**
(1)	**(2)**
1. Lower Division Clerk.	94* (2026) (a) Directorate General of Shipping, Mumbai – 32; (b) Mercantile Marine Department, Mumbai – 14; (c) Mercantile Marine Department, Chennai – 10; (d) Mercantile Marine Department, Kolkata – 12; (e) Mercantile Marine Department, Kandla – 03; (f) Mercantile Marine Department, Kochi – 05; (g) Government Shipping Office – 15; and (h) Seamen's Employment Office – 03. *Subject to variation dependent on workload.

Classification.	**Level in the pay matrix.**	**Whether Selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
General Central Service, Group 'C', Non-	Level-2 in the pay matrix	Non – Selection.	Between 18 and 27 years of age.	(i) 12th class pass from a recognised Board.

Gazetted, Ministerial.	(Rs, 19900-63200).		(Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(ii) a typing speed of thirty words per minute in English or twenty-five words per minute in Hindi on manual typewriter; or (iii) a typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 key depression per hour and 9000 key depression per hour on an average of five key depressions for each word). Time allowed: Ten minutes. **Note 1**: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption; to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Yes, to the extent indicated in column (11).	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful	(i) Eighty-five per cent. by direct recruitment through the Staff Selection Commission; (ii) ten per cent. by promotion on the basis of departmental qualifying examination; and (iii) five per cent.by promotion on the basis of Seniority-cum-fitness.	(i) **Promotion:** Ten per cent. of the vacancies shall be filled from amongst Multi-Tasking Staff in level-1 in the pay matrix (Rs, 18000-56900) and who possess 12th class pass from a recognised Board and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. **Note 1:** The maximum age-limit for eligibility for examination is up to the age forty-five years in the case of general candidates and up to fifty years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes

	completion of probation as prescribed by the Central Government.		and the Scheduled Tribes. **Note 2:** If more of such employees, then the number of vacancies available under clause (i) qualifies at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii) five per cent. of the vacancies shall be filled on Seniority-cum-fitness basis from Multi-Tasking Staff who have completed three years regular service in the post in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Director General, Directorate General of Shipping (Personnel or Administration – Chairman; 2. Deputy Director General, Directorate General of Shipping or Nautical Surveyor or Engineer and Ship Surveyor or Ship Surveyor (representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes) – Member; 3. An officer from other Central Government department including allied offices and subordinate offices at level of Under Secretary and above – Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director General, Directorate General of Shipping (Personnel or Administration) – Chairman; 2. Deputy Director General, Directorate General of Shipping or Nautical Surveyor or Engineer and	Not applicable.

Ship Surveyor or Ship Surveyor (representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes) – Member; 3. Assistant Director General of Shipping – Member.	

(1)	(2)
2. Multi-Tasking Staff.	81* (2026) (a) Directorate General of Shipping, Mumbai – 27; (b) Mercantile Marine Department, Mumbai – 12; (c) Mercantile Marine Department, Chennai – 07; (d) Mercantile Marine Department, Kolkata – 13; (e) Mercantile Marine Department, Kochi – 04; (f) Government Shipping Office – 10; and (g) Seamen's Employment Office – 08 *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs, 18000-56900).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission	10thclass pass from a recognised Board. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be

				available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.	Not applicable.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director General, Directorate General of Shipping (Personnel or Administration) – Chairman; 2. Deputy Director General, Directorate General of Shipping or Nautical Surveyor or Engineer and Ship Surveyor or Ship Surveyor (representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes) – Member; 3. Assistant Director General of Shipping – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12011/7/2022-MA-Part(1) (376415)]

VENKATESAPATHY SIVAPERUMAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.06.08 12:31:07 +05'30'